Dr. S. S. Pandey

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)- 2013

1

1. यह एक सांविधिक अथवा वैधानिक निकाय और भारत की एक पेंशन नियामक (Pension Regulator) है
2. इसको भारत सरकार द्वारा PFRDA Act - 2003 के द्वारा स्थापित किया गया, जिसको 2013 में एक 'केंद्रीय स्वायत्त निकाय' का दर्जा दे दिया गया

2

3. यह वित्त मंत्रालय के अधीन, 'वित्तीय सेवा विभाग' के अंतर्गत कार्यरत है
4. वर्तमान में PFRDA के अंतर्गत, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) संचालित हो रही है
5. PFRDA विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों; जैसे– सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA), पेंशन फंड मैनेजर्स आदि की भी नियुक्ति कर सकता है

3

PFRDA के प्रमुख कार्य

वृद्धों की पेंशन को सुनिश्चित करना एवं इसे बढ़ावा देना तथा पेंशन फंडों और संबंधित मामलों की योजनाओं के लिए ग्राहकों के हितों की रक्षा करना

4

नीतिगत एवं योजनागत प्रयास

5

Dr. S. S. Pandey

National Policy for Older Persons 1999

6

उद्देश्य

1. युवाओं एवं वृद्धों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा वृद्धों के लिए औपचारिक एवं संगठित सहायता विकसित करना

7

2. वृद्ध व्यक्तियों के पास उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करना ताकि एक तरफ, वृद्ध व्यक्तियों के अनुभवों एवं विशेषज्ञता का लाभ समाज को मिल सके तथा दूसरी तरफ, वृद्ध एक सक्रिय जीवन व्यतीत कर सकें

8

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न बिंदुओं पर केंद्रित प्रयासों पर बल–

1. वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी क्षेत्रों को शामिल करते हुए, क्षेत्रों को बढ़ाया जाये

9

2. गैर-सरकारी क्षेत्रों की सहायता से, वृद्ध व्यक्तियों को, छूटयुक्त स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये
3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'मानक कर' कटौतियों को बढ़ाया जाये

10

4. पेंशन कोष के समुचित उपयोग हेतु, एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाये (फलतः 2013 में PFRDA का गठन)
5. वृद्ध व्यक्तियों को, आवासीय ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया जाये

11

6. वृद्ध व्यक्तियों को, अपने बच्चों द्वारा देखभाल के अधिकार को उपलब्ध कराने हेतु, कानून का निर्माण किया जाये (फलतः MWPSC Act - 2007 पारित)

12

Dr. S. S. Pandey

वरिष्ठ नागरिक कल्याणार्थ राष्ट्रीय कार्य योजना संबंधी स्कीम -2020

National Action Plan for Senior Citizens (NAPSrC) - 2020

13

- एक अम्ब्रेला स्कीम
- 01 अप्रैल, 2020 से लागू
- इसकी चार उप-स्कीमें-
  1. IPSrC
  2. SAPSrC
  3. CWMSrC
  4. NISD के माध्यम से NAPSrC के अंतर्गत अन्य परियोजनाएँ

14

1. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम योजना (IPSrC)

1. वरिष्ठ नागरिकों, विशेषतः निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, बुनियादी सुविधाओं; जैसे– आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान किया जाएगा

15

2. उत्पादक एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा
3. इन स्थितियों में सुधार लाने के लिए गृहों की स्थापना की जाएगी

16

एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम योजना के अंतर्गत, परियोजना लागत का 100% तक अनुदान, निम्नलिखित परियोजनाओं को दिया जाएगा–

1. 25 निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, देखभाल-सुविधा और आश्रय प्रदान करने के लिए, वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया जाएगा

17

2. 50 वृद्ध महिलाओं को (संसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के अंतर्गत आने वाली वृद्ध महिलाओं सहित) भोजन, देखभाल और आश्रय प्रदान करने के लिए, वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया जाएगा

18

3. सतत् नर्सिंग देखभाल की जरूरत वाले अल्जाइमर की बीमारी / डेमेंशिया से पीड़ित न्यूनतम 20 वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो ग्रामीण, अलग-थलग एवं पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाएगा
4. प्रतिमाह न्यूनतम 50 वरिष्ठ नागरिकों के लिए, फिजियोथेरेपी क्लीनिक की व्यवस्था की जाएगी

19

2. राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना (SAPSrC)

प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्थानीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी आवश्यकतानुसार योजना और नीति बनाएंगे तथा अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ राज्य कार्य योजनाएँ बनाएंगे

20

21

3. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों / विभागों के पहल कार्यों के साथ अभिसरण (CWMSrC)

1. NAPSrC ने वरिष्ठ नागरिकों के लाभार्थ विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले पहल-कार्यों की पहचान की है,

22

2. इन पहल-कार्यों के दोहराव से बचने के लिए, इनको विभाग-वार बाँटा जाएगा और इसे, विभिन्न विभागों के आपसी सहयोग से, उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल करने हेतु भेजा जाएगा

23

4. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ आशयित और NISD के माध्यम से NAPSrC के स्कोप एवं कवरेज के अंतर्गत आने वाले यथा– मीडिया, पक्ष-समर्थन, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और अध्ययन, प्रायोगिक एवं अन्य परियोजना

24

Dr. S. S. Pandey

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

25

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित
2. यह केन्द्र सरकार द्वारा, पूर्णतया वित्त पोषित एक केन्द्रीय योजना है, जिसका कार्यान्वयन वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से किया जाता है

26

3. इसके तहत् योग्य वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी दिव्यांगता या दुर्बलता के अनुसार, निःशुल्क उपकरण (दृष्टि, प्रवण, दिव्यांगता संबंधी) प्रदान किये जायेंगे
4. इस योजना के तहत् महिलाओं को वरीयता दी जायेगी

27

5. प्रत्येक जिले में, 30% लाभार्थी महिलायें होंगी
6. इसके अंतर्गत, वर्तमान में 373 जिलों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

28

Dr. S. S. Pandey

इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1995

29

- 15 अगस्त, 1995 को शुरू
- एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका वित्त पोषण, केंद्र एवं राज्य मिलकर करते हैं

30

- BPL परिवार के 60 वर्ष के ऊपर तथा 79 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों को, 500-1000 तक (500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा तथा शेष राज्य द्वारा) की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान (अलग-अलग राज्यों में यह राशि अलग-अलग है)

- 80 वर्ष आयु के ऊपर के लोगों को, 800 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता का प्रावधान
- BPL के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक भी, राज्य सरकार से वृद्धावस्था पेंशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं

नोटः- वर्तमान में इस योजना से लगभग 2.49 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं

31

Dr. S. S. Pandey

अटल पेंशन योजना

32

इस योजना की शुरूआत भारत सरकार द्वारा 9 मई, 2015 को

33

उद्देश्य

- सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय समावेशन के तहत प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाना, जिससे वृद्ध एवं कमजोर वर्ग को, बिमारी, दुर्घटना एवं वृद्धावस्था में, किसी प्रकार से आर्थिक कमी का एहसास न हो

34

- असंगठित क्षेत्र के लोगों या ऐसे लोगों, जो Income Tax Slab से बाहर है और जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, उनको पेंशन के दायरे में लाना

35

प्रमुख प्रावधान

1. 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 रुपये तक के स्थायी पेंशन का अक्षय विकल्प
2. अंशदान की राशि व्यक्ति की उम्र के अनुसार

36

3. पेंशन की राशि तय करने का प्रावधान तथा अंशदान की राशि में परिवर्तन का अधिकार
4. सरकार द्वारा 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या अधिकतम 1000 रुपया तक का अंशदान (वार्षिक भुगतान)

37

5. अंशदाता की मृत्यु पर, उसके जीवन साथी को पेंशन पाने का अधिकार एवं जीवन साथी की मृत्यु के बाद, नाम दर्ज नोमिनी को अर्जित पैसा वापस हो जायेगा
6. इस राशि पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने का अधिकार
7. विशेष परिस्थिति में Exit का प्रावधान

38

पात्रता

1. इस योजना में 18-40 वर्ष के सभी नागरिक, जिनके पास बैंक खाता है शामिल हो सकते हैं
2. प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 20 वर्ष तक अंशदान करना अनिवार्य है

39

3. अभी तक अटल योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों का नामांकन किया जा चुका है

नोट-19/2/2019 को, PFRDA द्वारा अटल पेंशन योजना की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की सिफारिश की गयी है

40

Dr. S. S. Pandey

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

41

1. इस योजना की शुरूआत 4 मई, 2017 को
2. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु, केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना (LIC के सहयोग से संचालित)
3. 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक उपलब्ध (अब 31 मार्च, 2023 तक उपलब्ध)

42

4. इस योजना के अनुसार,
   1.50 लाख रुपये तक एकमुस्त निवेश करने पर या 7.50 लाख रुपये तक एकमुस्त निवेश करने पर, प्रत्येक माह 1000 या 5000 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त करने का प्रावधान (अब अधिकतम निवेश राशि 15 लाख और अधिकतम पेंशन की प्राप्ति 10,000 रुपये प्रतिमाह हो गयी है)

43

5. 10 वर्षों के लिए ब्याज 8%, जो मासिक रूप से देय होगा
6. Service Tax और GST के दायरे से बाहर
7. निवेश करने वाले व्यक्ति की 10 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाने पर, सारा पैसा नॉमिनी को मिलेगा

44

8. पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे हो जाने पर, खरीद मूल्य का 75% तक लोन का प्रावधान
9. पति-पत्नी या स्वयं की गंभीर बिमारी के इलाज हेतु, समयपूर्व निकासी का प्रावधान और समयपूर्व निकासी पर, योजना क्रयमूल्य का 98% राशि की वापसी का प्रावधान

45

Dr. S. S. Pandey

अन्य योजनाएँ / कार्यक्रम

46

वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम

↓

वृद्धों को आवास, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराने वाले NGO को सरकार द्वारा, 90% केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराना

47

वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना

↓

2005 में प्रारंभ
वृद्धजनों के हित में कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पुरस्कार देना

48

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

↓

मानसिक रूप से अस्वस्थ्य/अक्षम वृद्धजनों को सेवा उपलब्ध करना

49

अन्य कार्यक्रम

↓

रेलवे, एयरलाईंस इत्यादि में छूट, आयकर में छूट एवं बैंक में 5% अधिक ब्याज आदि जैसी सुविधाएँ

50

51

समीक्षा / सुझाव

52

निश्चित रूप से.....

अति संवेदनशील वर्ग के रूप में वृद्धजनों के लिए, सरकार द्वारा या अन्य संगठनों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रयासों से, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है; जैसे- (उपलब्धियों की चर्चा करें)

53

बावजूद इसके.....

अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर है, विशेष रूप से 1991 के बाद, राज्य की कल्याणकारी भूमिका में कमी और भारत में विद्यमान जनसंख्या हेतु समुचित वित्त का अभाव के कारण, इस दिशा में किये गए कार्य अपर्याप्त रहे हैं और अभी भी गांव तक इनका विस्तार नहीं हो पाया है

54

इसलिए जरूरत है कि, कुछ सुझावों पर अमल कर स्थिति को और सुदृढ़ किया जाये; जैसे-

1. वृद्ध कल्याण हेतु, वृद्धों की संख्या के अनुपात में वित्त को भी बढ़ाया जाये
2. वृद्धों के लिए कार्यक्रम निर्माण में, उनकी आवश्यकताओं एवं उनकी समस्याओं पर समुचित तरह से विचार किया जाये

55

3. विशेष रूप से नगरीय वृद्धों में, अलगाव, सामाजिक उपेक्षा, पीढ़ी का अंतराल आदि से उत्पन्न तनाव एवं कुंठा की समस्या और उनमें व्याप्त हीनभावना की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाये
4. वृद्धों हेतु विद्यमान कार्यक्रमों को, दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ एवं भ्रष्टाचारमुक्त तरह से लागू किया जाय

56

5. कानून, प्रावधानों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल कानूनप्रवर्तन एजेंसियों एवं कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाये, ताकि वे इसका सरकारी ड्यूटी मात्र न मानते हुए, अंत:करण की आवाज से प्रेरित होकर लागू करें और इनके लाभों को लक्षित व्यक्ति तक समुचित रूप से पहुँचाने का प्रयास करें

57

6. इस कार्य हेतु NGO, युवाओं, एवं मीडिया आदि की भूमिका को भी सहयोग के रूप में हासिल किया जाये
7. इन योजनाओं के बारे में समुचित प्रचार-प्रसार द्वारा वृद्धों एवं उनके संरक्षकों को इनका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जाये